छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय मुख्य न्यायधिपति श्री **राजीव गुप्ता**
माननीय न्यायमूर्ति श्री **सुनील सिन्हा**

दाण्डिक अपील क्र. 1732/1995

गणेश राम व अन्य

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान छ.ग.)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारणार्थ प्रस्तुत
सही/-
सुनील सिन्हा
न्यायमूर्ति

माननीय न्यायधिपति श्री **राजीव गुप्ता**

मै सहमत हूँ।
सही/-
मुख्य न्यायधिपति

निर्णय के लिए सूचीबद्ध करे : 17/04/2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय मुख्य न्यायधिपति श्री **राजीव गुप्ता**
माननीय न्यायमूर्ति श्री **सुनील सिन्हा**

दाण्डिक अपील क्र. 1732/1995

अपीलार्थीगण :

1. गणेश राम, उम्र 35 वर्ष, पिता झुमुक लोधी
2. भागात, उम्र 30 वर्ष, पिता झुमुक लोधी
3. हेमराज, उम्र 19 वर्ष, पिता झुमुक लोधी
4. धीरजा बाई, उम्र 25 वर्ष, पति भगत लोधी

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत अपील का ज्ञापन)

उपस्थित:- श्री योगेश्वर शर्मा व श्री एफ. एस. खरे अधिवक्तागाण, अपीलकर्ता की ओर से ।
श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

निर्णय
(17/04/2012)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया:

1) यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 113/94 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, सत्र खण्ड राजनांदगांव द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 1995 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को धारा 302/34 और 323/34 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्ध पाया गया है और उन्हें आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, जुर्माने के व्यतिक्रम पर 6-6 महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है।

2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता भानु उर्फ भानुप्रताप (अ.सा.-1) और रोहित कुमार (अ.सा.-2) एक ही परिवार की अलग-अलग शाखाओं के सदस्य हैं। वे पिपरिया गांव के निवासी हैं। उनके बीच बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनाँक 27 मई 1994 को सुबह लगभग 8:30 बजे भानुप्रताप (अ.सा.-1), उनके भाई रोहित कुमार (अ.सा.-2) और उनकी माता ढेला बाई (मृतक) आम तोड़ने गए थे। भगत (अपीलार्थी -2) और हेमराज (अपीलार्थी-3) ने उन्हें आम तोड़ने से रोक दिया क्योंकि दोनों पक्ष आम के पेड़ पर अपना अधिकार और आधिपत्य जता रहे थे। उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि हेमराज (अपीलार्थी -3), भगत (अपीलार्थी -2) और गणेश (अपीलार्थी -1) ने मृतक भानुप्रताप (अ.सा.-1) और रोहित कुमार (अ.सा.-2) पर डंडे से हमला करना शुरू कर दिया। ढेला बाई (मृतक), भानुप्रताप (प्रत्यक्षदर्शी-1) और रोहित कुमार (अ.सा.-2) घायल हो गए थे। ढेला बाई की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। भानुप्रताप (अ.सा.-1) ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर, प्र.पी-1) दर्ज की गई। ढेला बाई के शव को शव परीक्षण के लिए भेजा गया। शव

परीक्षण डॉ. के.के. जैन (अ.सा.-7) द्वारा किया गया, जिन्होंने पाया कि खोपड़ी के पिछले हिस्से पर लगी चोट के कारण खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर था। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी-13 है। रोहित कुमार (अ.सा.-2) और भानुप्रताप (अ.सा.-1) को मामूली चोटें आई थीं। उनकी चोटों का प्रतिवेदन प्र.पी-10 और पृष्ठ 11 है। अभियुक्त पक्ष की प्रतिवेदन पर भानुप्रताप (अ.सा.-1) और रोहित कुमार (अ.सा.-2) के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया, जो सत्र प्रकरण क्रमांक 166/94 का विषय बना। दोनों प्रकरण एक साथ चलाए गए। उक्त प्रकरण में भानुप्रताप (अ.सा.-1) और रोहित कुमार (अ.सा.-2) को भी धारा 325/34 और 323/34 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया गया। सत्र प्रकरण क्रमांक 166/94 से उद्भूत अपील की सुनवाई भी हमने की है और इसका निराकरण एक अलग निर्णय द्वारा साथ ही किया जा रहा है। माननीय सत्र न्यायाधीश ने निर्णय के कंडिका-17 में यह निष्कर्ष दर्ज किया कि यह अभियुक्त और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच हुई आपसी मारपीट का मामला था, जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्तियों को चोटें आईं और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अभीपाक को स्वीकार नहीं किया गया। अतः, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

3) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब आपसी मारपीट का निष्कर्ष दर्ज किया गया है, तो धारा 34 भा.द.सं. की सहायता से दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती। इसलिए, अपीलकर्ताओं को दी गई दोषसिद्धि और दण्ड को अपास्त किया जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं की संलिप्तता और भूमिका पर सवाल उठाते हुए मामलों के गुणागुण पर भी तर्क किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं को भी उसी घटना में चोटें आई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) इसके विपरित, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

6) दो समूहों के बीच आपसी मारपीट के मामले में, सामान्य आशय का अस्तित्व पूरी तरह से नकार दिया जाता है। ऐसे मामले में आरोपी व्यक्ति अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे [देखें- **गुरमीत सिंह और अन्य -बनाम- पंजाब राज्य, 1995 अनुपूरक (4) एससीसी 146** और **मोतीलाल और अन्य-बनाम- मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 14 एससीसी 453**]।

7) इस मामले में, हम पाते हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के बीच आपसी मारपीट से संबंधित सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया है और ऐसा निष्कर्ष दर्ज करने के बाद भी अपीलकर्ताओं को धारा 34 भा.द.सं. की सहायता से दोषी ठहराया गया है। उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, माननीय सत्र न्यायाधीश ने भा.द.सं. की धारा 34 की सहायता से अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में

विधिक त्रुटि की है और यह निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता। हमारा मत है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक अपीलकर्ता अपने कृत्य के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

8) अब हम प्रत्येक अपीलकर्ता के मामले की अलग-अलग परीक्षण करेंगे।

9) भानु उर्फ भानुप्रताप (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है, कि धीरजा बाई (अपीलार्थी - 4) भी घटनास्थल पर मौजूद थी और उसने मृतक को पकड़ा था, इस प्रकार वह भी हत्या में शामिल थी। उसके अनुसार, धीरजा बाई (अपीलार्थी - 4) के हाथ में लाठी थी। भानुप्रताप (अ.सा.-1) एफ.आई.आर. (प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराने वाला है। उसने घटना का विस्तृत विवरण दिया है और हमलावरों के नाम भी बताए हैं। एफ.आई.आर. (प्रदर्श-पी/1) की सामग्री से पता चलता है कि भानुप्रताप (अ.सा.-1) ने एफ.आई.आर. में धीरजा बाई (अपीलार्थी - 4) का नाम नहीं लिखा है। यदि धीरजा बाई (अपीलार्थी - 4) घटना में शामिल होती, तो भानुप्रताप (अ.सा.-1) द्वारा एफ.आई.आर. (प्रदर्श-पी/1) में उसका नाम अवश्य लिखा जाता, जिसे उक्त घटना में चोट भी आई थी। भानुप्रताप (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दोनों समूहों के बीच बंटवारे का विवाद लंबित था। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, आहात साक्षी द्वारा तुरंत दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. (प्रदर्श-पी/1) में धीरजा बाई (ए-4) का नाम न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक था। हमारा मानना है कि उपरोक्त साक्ष्यों के आलोक में उक्त घटना में धीरजा बाई की कथित संलिप्तता संदिग्ध हो जाती है और वह दोषमुक्त होने की पात्र हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) अन्य अपीलकर्ताओं के संबंध में, भानुप्रताप (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सुबह लगभग 8 - 8.30 बजे उनकी मां, ढेला बाई, आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर गई थीं। वह भी वहाँ पहुँचे। बाद में, उन्होंने देखा कि भगत (अपीलार्थी -2) और हेमराज (अपीलार्थी -3) आम तोड़ रहे थे। जब उसने पूछा कि पेड़ उसका है, तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसने भगत (अपीलार्थी -2) और हेमराज (अपीलार्थी -3) से कहा कि अगर पेड़ उनका है, तो उन्हें गांव के बड़े-बुजुर्गों को बुलाकर विवाद सुलझाना चाहिए। तब भगत (अपीलार्थी -2) ने हेमराज (अपीलार्थी - 3) को गणेश (अपीलार्थी -1) को बुलाने के लिए भेजा, जो तांगिया और लाठी लेकर आया। गणेश (अपीलार्थी -1) ने रोहित कुमार (अ.सा.-2) और उसकी माता, ढेला बाई (अब मृतक) पर हमला करना शुरू कर दिया। भगत (अपीलार्थी -2) के हाथ में टँगिया थी और गणेश (अपीलार्थी -1) के हाथ में लाठी। बाद में, धीरजा बाई (अपीलार्थी - 4) और हेमराज (अपीलार्थी - 3) ने उसकी माता को पकड़ रखा था और भगत (अपीलार्थी - 2) ने टाँगिया से उसकी माता पर हमला किया। अन्य गवाहों ने भी इसी तरह बयान दिए हैं। भानुप्रताप (अ.सा.-1) और रोहित कुमार (अ.सा.- 2) घायल साक्षी हैं। वे भी आपस में हुई मारपीट में शामिल थे। भानुप्रताप (अ.सा.-1) के अनुसार, उनकी मां पर भी भगत (अपीलार्थी - 2) ने लाठी से हमला किया था, लेकिन हमें उनके शरीर पर कोई कटा हुआ घाव नहीं मिला। विश्लेषण करने पर में हमने पाया कि मृतक पर गणेश (अपीलार्थी - 1) ने लाठी से हमला किया था और मृतक को लगी चोटों के लिए केवल गणेश (अपीलार्थी -1) ही जिम्मेदार है।

11) भगत (अपीलार्थी -2) और हेमराज (अपीलार्थी -3) के संबंध में, भानुप्रताप (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि भगत (अपीलार्थी -2) ने उसे टंगीया से मारा था, जिससे उसे चोटें आईं। भानुप्रताप (अ.सा.-1) का परीक्षण डॉ. के.के. जैन (अ.सा.-7) ने किया, जिन्होंने अपनी एम. एल. सी प्रतिवेदन को प्रदर्श-पी/11 के रूप में प्रमाणित किया है। रोहित कुमार (अ.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उस पर गणेश (अपीलार्थी -1) ने हमला किया था और हेमराज (अपीलार्थी -3) ने भी लाठी से उसके साथ मारपीट किया था। इस प्रकार, गणेश रोहित कुमार (अ.सा.-2) को मामूली चोटें पहुंचाने के लिए, अपीलार्थी अतिरिक्त रूप से उत्तरदायी होगा और हेमराज (अपीलार्थी -3) भी उसे मामूली चोट पहुंचाने के लिए, अपीलार्थी उत्तरदायी होगा।

12) अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि मृतक को चोट पहुँचाने के लिए, अपीलार्थी गणेश (अपीलार्थी -1) के विरुद्ध क्या अपराध बनता है।

13) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, गणेश (अपीलार्थी -1) द्वारा मृतक को पहुँचाई गई चोटें मृतक की हत्या करने के आशय से नहीं थीं, इसलिए अपीलार्थी, धारा 302 भा.द.सं. के तहत दंड के लिए दण्ड के लिए उत्तरदायी नहीं है और उसे लघूत्तम धारा के तहत, अधिमानतः धारा 304 भा.द.सं. के भाग-II के तहत दंडित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14) स्वीकृत रूप से आरोपी और शिकायतकर्ता अपीलार्थी के ही परिवार की अलग-अलग शाखाओं के सदस्य हैं। घटना के समय उनके बीच बंटवारे से संबंधित विवाद लंबित था। यह घटना आम के पेड़ से आम तोड़ने के कारण घटी, जिस पर दोनों पक्ष अपना अधिकार जता रहे थे। घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद हाथापाई शुरू हो गई और इस हाथापाई में दोनों पक्षों के सदस्यों को चोटें आईं। अपीलार्थी के अभिलेख से पता चलता है कि गणेश (अपीलार्थी -1) की बाईं कोहनी की हड्डी के निचले हिस्से में फ्रैक्चर हुआ था और धीरजा बाई (अपीलार्थी -4), भगत (अपीलार्थी -2) और हेमराज (अपीलार्थी -3) को भी मामूली चोटें आई थीं। इससे पता चलता है कि गणेश (अपीलार्थी -1) की ओर से कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं थी और उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक की हत्या करने का उसका कोई आशय था। हमारा मानना है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, गणेश (अपीलार्थी -1) भा.द.सं. की धारा 304 के भाग-II के तहत दण्ड के लिए अपीलार्थी उत्तरदायी होगा और 3 साल का कठोर कारावास देना, न्यायसंगत होगा।

15) उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ताओं को धारा 302/34 और 323/34 भा.द.सं. के तहत दी गई सजा और दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। अपीलकर्ता क्रमांक 4 - धीरजा बाई को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता क्रमांक 1 - गणेश को धारा 304 भाग-II और 323 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया

जाता है और उन्हें 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। अन्य अपीलकर्ताओं, अर्थात् अपीलकर्ता क्रमांक 2 भगत और अपीलकर्ता क्रमांक 3 हेमराज को भी धारा 323 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया जाता है और उन्हें पहले से भुगती गई अवधि की सजा सुनाई जाती है।

सही/-
मुख्य न्यायधिपति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur